2024/54

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2024 (राजसमन्द डिक्री)

राधेश्याम सोनी पिता चांदमल जी सोनी, निवासी न्यू अहिंसापुरी-31, पावाविहार, फतहपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण पिता रूपा रेंगर निवासी कलालों की आंती, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. पुखराज पिता रूपा रेंगर निवासी कलालों की आंती, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती झमकू पत्नी रूपा रेंगर निवासी कलालों की आंती, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ दिनांक 21-07-2023 प्रकरण संख्या 126/2022 वाद पत्र

---:---

उपस्थित :- 1- श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलार्थी
2- श्री पी. सी. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

---:---

निर्णय दिनांक 15-12-2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर नि[illegible] किया की राजस्व ग्राम कलालो की आती, तहसील देवगढ़ में खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 376 में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधि.
उदयपुर (राज.)

वादीगण के भाई गिरधारी के नाम आंवटित की गई। गिरधारी ला औलाद फोत होने से उसके विधिक वारिस भाई व माता वादीगण है। वादीगण के भाई को नियमानुसार 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आंवटित होकर आंवटन कमेटी द्वारा दिनांक 23.07.2002 को 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आंवटन आदेश पारित किया गया। वादीगण के भाई गिरधारी के ला औलाद फोत होने से उक्त आंवटित भूमि पर वादीगण काबिज है तथा चारों ओर चारदीवारी बना रखी। वादीगण को उक्त भूमि पर लोन लेने की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का के पास गये तो पता चला कि उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है। अतः वादी को आराजी नम्बर 376 में से 1 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 665 रकबा 1.1500 हैक्टेयर बने है, उसमें से 1 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.3240 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए विवादित आरजी नम्बर 665 रकबा 1.1500 हैक्टेयर में से 0.3200 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता पी. सी. पालीवाल उपस्थित हुये। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुये अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया की दिनांक 07.03.2024 को विपक्षी संख्या 1 मौके पर आये एवं कब्जा लेने हेतु कहा तब उक्त निर्णय व डिक्री जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर [illegible] देरी को क्षमा किया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर [illegible] किया न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधि
उदयपुर (राज.)

6. अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी नम्बर 376 का खरीद के आधार पर मालिक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में उसके पक्षकार नही बनाये जाने से वह अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

7. हमने प्रार्थना पत्र को अवलोकन कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2020 व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, जिनके अवलोकन से अपीलान्ट प्रथम दृष्टया प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

8. गुणावगुण कर बहस करते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने केस को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से बिना सिद्ध कराये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवायें बिना तथा बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है, जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट की कब्जे शुदा भूमि की तरमीम अपने नाम कराने चाहता है, जो बिना अधिकार के है। साबिक आराजी नम्बर 376 बहुत बड़ा रकबा है तथा आंवटन उसी आराजी से सभी को किया गया है, परन्तु रेस्पोडेन्ट के नाम आंवटन शुदा रकबा कभी भी तरमीम नही हुआ है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

9. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर [illegible] का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष संभागीय आयुक्त [illegible]यपुर का निर्णय दिनांक 17.08.2020 प्रस्तुत किया गया है जिसमें संभागीय आयुक्त मोहदय ने आराजी नम्बर 994/376 के संबंध में निर्णय पारित

भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

करते हुए तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट राधेश्याम सोनी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि आराजी नम्बर 376 बहुत बड़ा रकबा होकर उसमें से कई व्यक्तियों को आंवटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो डिक्री जारी की उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नही बनाये जाने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ है। हमने अपीलान्ट का धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें प्रभावित पक्षकार माना है, जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

11. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है अपीलान्ट को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संस्थित किया जाकर तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:09 IST
Reason: SelfAttested